

27<sup>08</sup>  
2019

वकील (आपल अण) मूलवांद को वापिस आत जोतना  
केपे जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अतः मूल  
वाद के आवे में इस समन पत्र पर कार्यवाही का कोई  
अपित्त नही है। अतः समन पत्र खारिज खारिज  
किया जाता है। पत्रावली में मूल मुकदमा खारिज  
रहे अथवा अथवा

उपसपडाधिकारी  
श्रीलपर (राज)



डि. न. रावती  
Jdcafe  
जि. 28/8/19  
27/8/19